छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
//आदेश//

क 2108/749/सा/2021/17–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक, 5/5/2021

प्रति,
समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
छत्तीसगढ़

विषयः–18–44 वर्ष के व्यक्तियों हेतु शासकीय संस्थाओं में कोविड 19 टीकाकरण के संबंध में।

–––000–––

भारत सरकार द्वारा राज्यों को 18–44 वर्ष आयुवर्ग हेतु वैक्सीन डोसेज़ राज्य कोष से क्रय करने व इस आयुवर्ग के नागरिकों का टीकाकरण करने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार की अनुमति के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वैक्सीन के दोनों उत्पादकों को 75 लाख वैक्सीन की खुराक की मांग प्रेषित की गयी, परन्तु राज्य को इस मांग के विरुध्द 30 अप्रैल 2021 तक कोई वैक्सीन नहीं मिली। 30 अप्रैल की देर शाम को राज्य को सूचित किया गया कि 1 मई 2021 को 1.5 लाख डोसेज रायपुर पहुंचेगी। इसलिए इस हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाने के लिए समय नहीं बचा था । इस बात के मद्देनजर कि 18–44 वर्ष आयु वर्ग में अनुमानित जनसंख्या कुल 1.34 करोड़ है और राज्य के पास उपलब्ध वैक्सीन डोसेज केवल 1.5 लाख थीं, यह निर्धारित किया गया कि यदि टीकाकरण को इस आयुवर्ग के समस्त लोगों के लिए खोला जाता है तो इससे अराजकता तथा कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। भारी भीड़ रहने से कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन भी संभव नहीं हो पाता, इसलिए, इस आयुवर्ग में एक समूह विशेष को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया था।

भारत सरकार का CoWIN पोर्टल केवल मोबाइल फोन नंबर और OTP के आधार पर पंजीकरण की अनुमति देता है। अधिकांश अत्यंत गरीब लोगों के पास मोबाइल नही है और

उनके पास कनेक्टिविटी और इंटरनेट तक पहुंच भी नहीं है। इसलिए उनके लिए CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण कराना लगभग असंभव है।

हालांकि इससे पहले CoWIN पोर्टल पर ऑनसाइट पंजीकरण की अनुमति थी, लेकिन भारत सरकार ने 18–44 वर्ष के आयुवर्ग के लिये ऑन–साइट पंजीकरण की सुविधा वापस ले ली, जो गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। इसलिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को अत्यंत गरीब व्यक्ति के प्रति सुरक्षा कीं नीति अपनाने के लिए विवश होना पड़ा। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि टीकाकरण हेतु अंत्योदय श्रेणी के लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो सबसे गरीब हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑनसाइट पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की गई है।

राज्य सरकार इस बात के प्रति पूर्णतः जागरूक है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति का कोविड के विरुद्ध टीकाकरण किया जाना चाहिए और इस तारतम्य में राज्य सरकार ने सार्वजनिक घोषणा भी की है कि छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा, परंतु राज्य को उपलब्ध करायी गयी वैक्सीन की सीमित आपूर्ति के कारण गरीबी के अनुसार प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक हो गया। इसलिए टीकाकरण में अंत्योदय लाभार्थियो का सर्वप्रथम इसके बाद बीपीएल लाभार्थियों का तथा इसके बाद एपीएल लाभार्थियों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया ।

इस मामले में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान में लेते हुए रिट याचिका संख्या WP PIL 27/2020 Suo Moto vs Chhattisgarh state & others, WP PIL 46/2021के अंतर्गत दिनांक 4.5.2021 को राज्य शासन को यह निर्देश दिया है किः

In the said circumstances as a viable approach, we are of the view that the State Government shall fix a reasonable ratio of allotment of vaccines to the 'Antyodaya Group', the persons belonging to the 'Below Poverty Line' and the persons belonging to the 'Above Poverty Line', with reference to all the relevant aspects including the vulnerability, chance to spread the disease and the number of eligible persons in the group. Accordingly, we direct the state government to have a discussion of the Secretaries of the relevant Departments at the higher level and to fix the ratio as above and distribute the vaccines in the third phase of vaccination (for the age group of above

18 and below 45 years) in an equitable manner- Implementation of Annexure P/1 order dated 30-4-2021 issued by the Additional Chief Secretary, Department of Health &Family Welfare, Government of Chhattisgarh, stands modified to the said extent and shall be subject to the ratio of allotment to be made as above. This shall be done and given effect to forthwith.

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने तत्काल आदेश दिनांक 5.5.2021 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित कर दी है। चूंकि समिति को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विभिन्न पहलुओं जैसे भेद्यता, संक्रमण फैलने की सम्भावना और समूह में पात्र व्यक्तियों की संख्या पर विचार करना है, इसलिए समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में कुछ समय लगने की संभावना है। **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.04.2021 को संशोधित करने का आदेश दिया है और यह कहा है कि अंत्योदय, बीपीएल एवं एपीएल श्रेणियों के लिये टीकाकरण के अनुपात का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाये । राज्य शासन द्वारा अनुपात का निर्धारण करने में कुछ समय लगने की संभावना है। इस बीच यदि केवल अंत्योदय हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया तो इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना जा सकता है इसलिए इस प्रकार संशोधन किये जाने तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 18–44 वर्ष आयुवर्ग के टीकाकरण को स्थगित किया जाता है।**

(माननीय मंत्रीजी द्वारा अनुमोदित)

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग